न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-8/2017

1- आचीदेवी पत्नी फूला
2- श्रवण पुत्र फूला
3- बीरबल पुत्र फूला
4- राजेन्द्र पुत्र फूला
5- गणपत पुत्र फूला
6- मालीराम पुत्र फूला

जाति स्वामी निवासी इन्द्रपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू ।

---अपीलान्टस---

---बनाम---

1- बद्रीप्रसाद पुत्र गणपतदास जाति स्वामी निवासी इन्द्रपुरा हाल निवासी चक नांगल तहसील उदयपुरवाटी ।

2- ओमप्रकाश पुत्र गोपालदास
3- बिड़दूराम दत्तक पुत्र गोरूदास

जाति स्वामी निवासी इन्द्रपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू ।

4-राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी ।

---रेस्पोडेन्टस---

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक
24-1-2017 द्वारा उप खण्ड
अधिकारी उदयपुरवाटी ।

---0---

उपस्थिति-

1-श्री अरविन्द सैनी एडवोकेट- अपीलान्ट

2-श्री राजेश पूनिया एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 28.5.2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट ने अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र धारा-251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम चक नांगल में खेत खसरा नं0 220 225 कुल किता-2 रकबा 0.75 हैक्टर का खातेदार काश्तकार है । प्रार्थी ने ख0नं0 220 में पुखता मकान व पशुओं को एवं उनके चारा डालने हेतु मकान बना रखे हैं । इस भूमि में आने जाने के लिए वर्तमानमें पगडण्डी मौजूद है । कटाण शुद्धा रास्ता आने जाने हेतु नहीं है । इस कारण यह प्रार्थना पेश किया है ।प्रार्थी अपनी उक्त खातेदारी भूमि में ग्राम इन्द्रपुरा के खसरा नं0 327 व ग्राम चक नांगल के खेत खसरा नं0 204 में से होकर प्रार्थी के खेत में आना जाना होता है ।ख0नं0 327 का खातेदारी अप्रार्थी संख्या-1 व ख0नं0 204 का खातेदार अप्रार्थी सं0- 2 व 3 है। जिन्होने प्रार्थी को एक सप्ताह पूर्व इस पगडण्डी से जाने के लिये मना कर दिया । इस कारण यह प्रार्थना पत्र पेश किया। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ख0नं0 327 व ख0नं0 204 के सींव के सहारे सहारे होकर करीबन 670 फुट लम्बा व 10 फुट चौडा रास्ता जो नजरी नक्शा में लाल रंग से ए,बी,सी,डी,तक दर्शित की है रास्ता कायम किया जावे । अदालत मातहत ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत ने माननीय न्यायालय के आदेश की अक्षरशः पालना न कर आदेश पारित किया है। माननीय न्यायालय ने मौका रिपोर्ट दिनांक 18-9-2012 की मौका रिपोर्ट पर जो एतराज पेश किया था उक्त एतराज को यह अभिमत व्यक्त करते हुये दिनांक 6-4-2016 को यह कहते हुये निरस्त कर दिया था कि प्रार्थना पत्र पत्र में अंकित बिन्दू के ऐतराज के सम्बन्ध में तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा खुलासा रिपोर्ट दी जा चुकी है। उक्त स्थिति में दुबारा रिपोर्ट मंगवाने का आदेश विधि विरूद्ध है निरस्त किया जावे ।अदालत मातहत द्वारा मंगवाई गई रिपोर्ट पर अपीलान्ट ने ऐतराज किया किन्तु अदालत मातहत

ने प्रार्थना पत्र ऐतराज का निर्णय न कर आदेश पारित किया है। रेस्पोन्डेन्ट ने ख0नं0 220 के लिये रास्ता मांगा है । ख0नं0 225 की दक्षिणी सीमा पर कटान नुमा रास्ता है । ख0नं0 225 की खातेदारी रेस्पोन्डेन्ट सं0-1 की है तथा ख0नं0 220 व 225 के मध्य ख0नं0 219 है जो रेस्पोडेन्ट संख्या-1 के मां जाये भाई का है । जो विभाजन में उसे प्राप्त हुई है । ऐसी स्थिति में मात्र 100 फुट दूरी तक भूमि खसरा नं0-219 में लघुतम रास्ता उपलब्ध है तो 670 फुट लम्बे रास्ते का कोई औचित्य नहीं रहेगा। अदालत मातहत ने इस बिन्दू पर कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है । पत्रावली में तत्कालीन उप खण्ड अधिकारी ने भी दिनांक 21-12-2012 को मौका देखकर मौका रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें ख0नं0 220 व 225 रेस्पोन्डेन्ट संख्या-1 का है । जिसमें ख0नं0 220 में रास्ता ख0नं0 218 से 221 की दक्षिणी सींव से रास्ता चालू बताया है। ख0नं0 214, 215, 225 की दक्षिणी सीमा पर राजकीय कटान का रास्ता है। स्वयं रेस्पोन्डेन्ट ने बन्द कर रखा है । रेस्पोडेन्ट संख्या-1 के पास वैकल्पिक रास्ता है ।अदालत मातहत ने विधि के विपरित रेस्पोडेन्ट को सुविधा के हिसाब से रास्ता दिया है अत: अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावें ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि जब अदालत मातहत ने स्वयं ने मौका देखकरमौका रिपोर्ट बनाकर आदेश पारित कर दिया तो नायब तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मंगाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। रेस्पोडेन्ट के खेत में वैकल्पिक रास्ता पहले से ही मौजूद है । नायब तहसीलदार ने मौका रिपोर्ट हमारी उपस्थिति में नहीं बनाई है ।अदालत मातहत ने मौके के विपरित रास्ता दिया है । खसरा नं0-225 भी रेस्पोन्डेन्ट का ही है जिससे रेस्पोन्डेन्ट के खेत में

फुट दूरी पर ही रास्ता लगता है । धारा-251(ए) की मंशा भी यही है कि सबसे कम दूरी का रास्ता दिया जाना चाहिये इसके बाद भी अदालत माहत ने 670 फट दूर का रास्ता देकर धारा-251(ए) की मंशा के विपरित आदेश पारित किया है ।अतः ~~अतएव~~ अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का आदेश निरस्त किया जावे । बहस के समर्थन में आरआरडी जून 2005 पेज 360, आरआर डी 2016 पेज 458 पेश की ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि अदालत मातहत ने अपना निर्णय सभी तथ्यों पर मनन करने के बाद मौके कीरिपोर्ट ली जाकर तथा स्वयं द्वारा मौका निरीक्षण करने के बाद अपना निर्णय दिया है । अपीलान्ट ने मौके पर रास्ता बन्द कर दिया जिसको प्रशासन ने पुलिस की मदद से खुलवाया है । मौका रिपोर्ट पर अपीलान्ट ने आपत्ति पेश की जिसका भी दोनो पक्षों को सुनकर आदेश पारित किया है ।नायब तहसीलदार की मौका रिपोर्ट से दिनांक 25-11-2016 में प्रस्तावित रास्ते की पुष्टि होने के बाद अदालत मातहत द्वारा स्वयं द्वारा मौका निरीक्षण कर आदेश पारित किया है । अदालत मातहत का आदेश उचित एवं विधिक है । अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । नकल जमाबन्दी सं0-2066 से 2069 में आराजी ख0नं0 220, 225 कुल किता-2 रकबा 0.7500 हैक्टर की खातेदारी बद्रीदास पुत्र गणपतदास रेस्पोडेन्ट सं0-1 के नाम दर्ज है । नकल जमाबन्दी सं0- 2067 से 2070 में ख0नं0 65, 325, 327, 64 कुल किता-4 रकबा 2.27 हैक्टर की खातेदारी अपीलान्ट के पिता/पति फूलाराम के नाम दर्ज है ।जमाबन्दी सं0- 2066 से 2069 में ख0नं0 204 की खातेदारी ओमप्रकाश, बिडदूदास रेस्पोडेन्ट संख्या-2 व 3 के नाम दर्ज है । रेस्पोडेन्ट संख्या-2 व 3 ने रेस्पोडेन्ट संख्या-1 के साथ राजीनामा किया है। जिसमें ख0नं0 220 व 225 में रास्ता गाडियों का आने जाने का नहीं बताया ।राजस्व रेकार्ड के अनुसार ख0नं0 204 की खातेदारी रेस्पोडेन्ट संख्या-2 व 3 के नाम दर्ज है ।

रेस्पोंडेन्ट संख्या-2 व 3 ने अपनी खातेदारी भूमि ख0नं0 204 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे 12 फुट चौडा रास्ता दिये जाने का राजीनामा किया है जो रास्ता प्रस्तावित है । मौका रिपोर्ट दिनांक 25-11-2016 में में ख0नं0 327 तक कटान शुदा रास्ता बताया है । इस रास्ते को दिया जाना मौका रिपोर्ट में दर्ज किया है । रास्ता पुलिस [illegible] [illegible] प्रशासन द्वारा खुलवाया गया है जिसकी अखबार की कटींगं है । विद्वान वकील अपीलान्ट ने जो नजीर पेश की उसके तथ्य भिन्न है । यहा पर प्रस्तावित रास्ते के ख0नं0 204 के खातेदारो ने राजीनामा स्वीकार कर रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 को अपने खेत में से 12 फुट चौडा रास्ता दिये जाने की बात को स्वीकार की है ।मौका रिपोर्ट के अनुसार दूसरा रास्ता ख0नं0 220 में नहीं है ।अदालत मातहत ने सभी तथ्यों पर गौर करते हुये आपत्ति का निस्तारण कर निर्णय पारित किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं मानते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जात जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी का निर्णय दिनांक 24-1-2017 को यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 28.5.2018 को सुनाया गया ।

28/5/18
(भंवरलाल मेहड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर